



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्रांक- 11/1092/आर0ई0सी0/2014/राज, यू0पी0, दिल्ली/180

दिनांक- 13.07.2016

सेवा में,

- श्री वी0सी0 सचेती, सी-56/बी1, महावीर मार्ग, सी स्कीम, जयपुर-302001, राजस्थान
ईमेल- vinaysacheti@hotmail.com
- श्री उमेश मोहन सहाय, बी-2/429, चित्रकुट योजना, रोशन पथ, जयपुर-302021, राजस्थान।
ईमेल- umsahai@gmail.com
- डा0 भारत वी0 धर, डी-20, पंपोस इक्लेव, नई दिल्ली-110048, दिल्ली
ईमेल- profbbdhar@gmail.com
- वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ (ईमेल द्वारा)
- अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान ईमेल- ccf.fca.rajasthan@gmail.com
- नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ-226001
ईमेल- ccfnodalup@gmail.com
- सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन, जयपुर-302005
ईमेल- revenuesecretary@gmail.com, Fax - 0141-2227811
- सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, बापू भवन उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ-226001
ईमेल- psecrev@nic.in, psrevenuedeptup@gmail.com Fax - 0522-2236492

विषय : दिनांक- 20.07.2016 को होने वाली क्षेत्रीय सशक्त समिति की 12वीं बैठक।

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक दिनांक- 20.07.2016 (बुधवार) को प्रातः 11.00 बजे अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय) के कक्ष में आहूत की गयी है। आपसे अनुरोध है कि बैठक में निर्धारित समय पर भाग लेने की कृपा करें।

समिति की बैठक में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्तावों की सूची निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	प्रस्ताव का नाम	जनपद	क्षेत्रफल (हे०)	पत्रावली संख्या
12. 1-यू0पी0	जनपद जालौन में जालौन से ऊरई (बिलरायां-पनवाड़ी राजमार्ग संख्या-21 के किमी0 352.00 से 370.45 एवं जालौन बाईपास होते हुए झांसी-भोगनीपुर-कानपुर मार्ग, एन0एच0-27 के किमी0 218.400 तक) फोर लेन के निर्माण हेतु 35.71435 हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 2530 वृक्षों के पातन की अनुमति।	जालौन	35.7144	8बी/यू0पी0/06/37/2016
12. 2-यू0पी0	एस0एच0-21 बिलरियान-पनवारी रोड के किमी0 57 (700) से किमी 71 तक जनपद लखीमपुर में एवं किमी0 72 से 98 तक जनपद सीतापुर में 2 से चार लेन तक विस्तार के संबंध में।	सीतापुर/ लखीमपुर खीरी	49.395	8बी/यू0पी0/06/48/16

12.3 यू0पी0	एस0एच0 25 पलिया-शाहजहांपुर-हरदोई-लखनऊ चौड़ीकरण हेतु- (1) शाहजहांपुर में किमी0 104 से 117 तक 02 लेन से 04 लेन 18.2 हे0 व बाधक 4163 वृक्षों का पातन (2) जनपद हरदोई में किमी0 118 से 159 (500) 02 लेन से 04 लेन 53.95 हे0 व बाधक वृक्ष 6450 तथा किमी0 159 (500) से 224 तक 02लेन के साथ पेड्ड शोल्डर 57.95 हे0 व बाधक 6226 का पातन (3) जनपद लखनऊ में 225 से 260 (400) तक 02 लेन से 04 लेन 52.34 हे0 व बाधक वृक्ष 6374 तथा किमी0 261 (475) से 263 (200)तक 04 लेन से 06 लेन चौड़ीकरण 1.6387 हे0 व बाधक 55 वृक्षों का पातन इस प्रकार कुल 184.0787 हे0 संरक्षित वनभूमि व 23268 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।	शाहजहांपुर हरदोई लखनऊ	184.0787	8बी/यू0पी0/06/60/2016
12.4 यू0पी0	एन.एच 29 के 4 लेन चौड़ीकरण एवं पेड्ड सोलडर कि.मी.110.00 से 112.460 एवं 130.070 से 136.030 एवं गोरखपुर में 157.200 से 208.600	गोरखपुर मऊ	93.92	8बी/यू0पी0/06/63/2015
12.5-राज	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, बीकानेर के पक्ष में 400 के0वी0 डी0/सी0 बादला-बीकानेर पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 22.3983 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन (बीकानेर टेरिटरियल, बीकानेर एस0टी0- II, जेसलमेर आई0जी0एन0पी0 स्टेज- II एण्ड जोधपुर फोरेस्ट डिवीजन में)	बीकानेर	22.3983	8बी/राज0/04/44/15

नोट- क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में प्रस्ताव में लिये गये निर्णय की जानकारी मंत्रालय के FCA Online Portal पर Online Upload कर दी जाती है। अतः इस संबंध में जानकारी Web Portal से प्राप्त की जा सकती है।

भवदीय,
[Signature]
13 July 2016

सदस्य सचिव,
क्षेत्रीय सशक्त समिति, लखनऊ

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु :-

1. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उरई, उ0 प्र0। (ईमेल द्वारा)
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0 प्र0। (ईमेल द्वारा)
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, सीतापुर, उ0 प्र0। (ईमेल द्वारा)
5. अधिशासी अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, बीकानेर, राजस्थान। (ईमेल द्वारा)
6. परियोजना निदेशक, NHAI, 3/40 बहार, क्लस्टर-3, सहारा इस्टेट, गोरखपुर-273010। (ईमेल द्वारा)

प्रकरणों से संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्ताव से संबंधित सभी अभिलेखों सहित बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं बैठक के समय अपने प्रस्ताव से संबंधित अधिकतम 10मिनट की प्रस्तुति (power point presentation) समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रस्ताव के संबंध में दी जाने वाली प्रस्तुति (power point presentation) इस पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुसार तैयार कर इस कार्यालय को दिनांक- 18.07.2016 (सोमवार) सुबह 11.00 बजे तक कार्यालय की ईमेल- goimoefrolko@gmail.com पर उपलब्ध करवानी होगी। साथ ही इस प्रस्तुति (power point presentation) की रंगीन प्रति (Hard Copy) दिनांक- 20.07.2016 को सुबह 10.00 बजे इस कार्यालय में 08 प्रतियों में उपलब्ध करवानी होगी।

[Signature]
13 July 2016

सदस्य सचिव,
क्षेत्रीय सशक्त समिति, लखनऊ

प्रस्तुति (Power Point Presentation)

The power point presentation should not be of more than 15 slides. It should contain-

- Necessity of the project
- District/ Division wise Reserve Forest, Protected forest, un- classed forest and non forest land required for the project.
- Total number of trees standing on the proposed land and total number of trees proposed for felling.
- Efforts made to avoid/reduce forest area with depiction on digital map and calculation of forest area
- Cost of the project, calculation of NPV and outlay of CA.
- In case of transmission line - scheme of plantation of dwarf plants
- Cost benefit analysis (applicable if forest area > 20 ha.)
- Likely employment generation- temporary and permanent
- FRA certificate from respective District Collector.
- Catchment Area Treatment Plan (if applicable)

नोट – प्रस्तुति (Presentation) के समय, प्रयोक्ता अभिकरण के अधिकतम 4 सदस्य उपस्थित रह सकते हैं।